दिनांकः 28.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता व ANTF सहारनपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 09 क्विंटल 05 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त (अनुमानित कीमत करीब 01 करोड 81 लाख रुपये), 04 मोबाइल फोन, 01 ट्रक एंव 1760/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता एव ANTF सहारनपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध नशे का कारोबार करने वाले 04 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्तगण **1. बिन्दर सिंह पुत्र जयमल सिंह निवासी ग्राम अरनौली थाना गुहला जनपद कैथल, हरियाणा 2. नितिन कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम तारापुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ 3. कुलदीप सिंह पुत्र टेहल सिंह निवासी ग्राम पोलड थाना सिवन जनपद कैथल, हरियाणा 4. जगदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हरिके कलां रोड खोखर थाना बरिवाला जनपद मुक्तसर, पंजाब** को नानौता गंगोह रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 09 क्विंटल 05 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त व 04 मोबाइल फोन व 1760/- रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त 01 ट्रक Ashok Leyland रजिस्ट्रेशन नं0 PB11DF0292 बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 47/25 धारा 8/15/29/60 NDPS ACT पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। अभियुक्तगण कुलदीप सिह ,बिन्दर सिह व जगदेव सिह ने बताया कि खुशपाल हमें लखनऊ हाईवे पर स्थित यादव ढाबा पर मिला था। वहीं पर खुशपाल ने हम तीनो को बताया कि उसने झारखण्ड से सुल्तानपुर अवैध डोडा पोस्त मंगवाया है। जिसे हरियाणा में असंध तक लेकर जाना है।खुशपाल ने सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे से ट्रक में अवैध डोडा पोस्त लोड करवाया था। नितिन कुमार भी खुशपाल के गाँव का ही रहने वाला है जो हमें तीनो को हापुड मिला था ।।खुशपाल ने हमें अधिक रुपयो का लालच दिया जिससे हम उसके झाँसे में आ गये और ट्रक को लेकर हरियाणा की तरफ चल दिये। खुशपाल लगातार रास्ते मे नितिन से सम्पर्क मे था और फोन के जरिये ही उसे बात कर रहा था कि असन्ध मे माल कहाँ उतारना है । गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि खुशपाल ने हमें डोडा पोस्ट हरियाणा में ले जाने के लिये 20,000/- रुपये का लालच दिया था। हम तीनों अधिक रुपये कमाने के लिये अवैध डोडा पोस्ट की सप्लाई करने का कार्य करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. बिन्दर सिंह पुत्र जयमल सिंह निवासी ग्राम अरनौली थाना गुहला जनपद कैथल, हरियाणा
2. नितिन कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम तारापुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ
3. कुलदीप सिंह पुत्र टेहल सिंह निवासी ग्राम पोलड थाना सिवन जनपद कैथल, हरियाणा
4. जगदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हरिके कलां रोड खोखर थाना बरिवाला जनपद मुक्तसर, पंजाब

बरामदगी का विवरणः-

- 60 प्लासटिक के कट्टो में कुल 09 क्विंटल 5 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त (अनुमानित कीमत करीब 01 करोड 81 लाख रुपये)
- 04 मोबाईल फोन
- 01 Ashok Leyland रजि0 नं0 PB11DF0292(घटना में प्रयुक्त)
- कुल 1760/- रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्त नितिन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 67/23 धारा 323/504/506 भा.द.वि. व 3(2)VA SCST ACT थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ
2. मु0अ0सं0 47/25 धारा 8/15/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार ANTF सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह ANTF सहारनपुर
4. उ0नि0 जयवीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. म0उ0नि0 भावना थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. है0का0 205 विपिन थाना नानौता सहारनपुर
7. का0 2032 सचिन थाना नानौता सहारनपुर
8. का0 सूरज देशवाल ANTF सहारनपुर
9. का0 शिवम चौधरी ANTF सहारनपुर
10. का0 अश्वनी कुमार ANTF सहारनपुर
11. का0 अंकित कुमार ANTF सहारनपुर
12. का0 विकास कुमार ANTF सहारनपुर

दिनांक - 28.02.2025

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त 01 को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण एंव वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.02.2025 को 01 वारण्टी अभियुक्त गौवर्धन पुत्र इलम सिह निवासी ग्राम अलीपुर भागूवाला थाना मिर्जापुर सहारनुपर को सम्बन्धित वाद संख्या 2528/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि चालानी थाना मिर्जापुर को ग्राम अलीपुर भागूवाला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः –

गौवर्धन पुत्र इलम सिह निवासी ग्राम अलीपुर भागूवाला थाना मिर्जापुर सहारनुपर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. उ 0नि0श्री गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. है0का आवेश राणा 498 0थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 28.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मंदिर से दानपात्र उखाड़कर चोरी करने वाले 01शातिर चोर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गई 01 बैट्री व कुल 402 /- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.2024 को वादी श्री सोनू शर्मा पूजारी निवासी मौ0 महादेव कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत ग्राम जुड्डी रोड पर स्थित गोगा म्हाड़ी मंदिर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा दान पात्र उखाड़कर 5000/- रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना नकुड पर मु0अ0सं0 418/24 धारा 305/324(2)/298 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 27.02.2025 को वादी श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र यशपाल सिहँ निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बाबत दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की दुकान से 01 बैट्री Livgard company की को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 54/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट की घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 27.02.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर/ अभियुक्त **आनन्द पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को नकुड अम्बेहटा रोड पर पैट्रोल पम्प से आगे बन्द पडे भोपाल सैनी के ईंट भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 बैट्री (LIVGAURD मॉडल 2X40B20) व मु0अ0सं0 418/24 धारा 305/324(2)/298 भा0न्या0स0 से सम्बन्धित कुल 402/- रुपये नकद बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने बी0एस0सी तक पढाई की है। मुझे नशा करने की लत लग गयी है।अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये दिनांक 25.02.2025 को मौ0 महादेव कस्वा नकुड मे 01 बैटरी की दुकान से 01 बैटरी चोरी की थी एंव 02 महिने पहले गोगा म्हाड़ी मंदिर के दानपात्र को उखाड़कर 5000/- रुपये चोरी किये थे,जिसमें से मैंने कुछ रुपये नशे की लत को पूरा करने के लिए खर्च कर दिए। जब मैं चोरी की बैट्री को बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ।पुलिस ने मुझसे 402/- रुपये बरामद किये है वो वही रुपयो में से बचे हुए रुपये थे जो मैंने गोगा म्हाड़ी मंदिर के दानपात्र से चुराये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आनन्द पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 बैट्री LIVGAURD मॉडल 2X40B20
- 402/- रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्त आनन्द का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 455/24 धारा 303(2)/317(2) भा0न्या0स0 थाना गगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 456/24 धारा 317(2)/317(5)/318(4)/336(2) भा0न्या0स0 थाना गगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 418/24 धारा 298/(2)324/305/317(2) भा0न्या0स0 थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 54/25 धारा 305/317(2) भा0न्या0स0 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर

3. है0का0 320 तरुण गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर

4. का0 1927 पारुल चौधरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांकः 28.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शस्त्रो के कारोबार की रोकथाम व इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.02.2025 को थाना कोतवाली देहात सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा ने चैकिंग/गस्त के दौरान अवैध शस्त्र रखने वाले 02 अभियुक्तगण **1. अहसान पुत्र इकराम निवासी मौ विश्वास नगर कालोनी टावर के 0पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 2. साबेज पुत्र अकबर निवासी भंगी कालोनी कब्रिस्तान के सामने वाली गली थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को जनता प्रोपर्टी एडवाइसर,बेहट रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 चाकू बरामद हूए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 76/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं।हम लोगो को डराने व धमकाने के लिये अपने पास चाकू रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अहसान पुत्र इकराम निवासी मौ0 विश्वास नगर कालोनी टावर के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. साबेज पुत्र अकबर निवासी भंगी कालोनी कब्रिस्तान के सामने वाली गली थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 02 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
2. है0का0 526 सनोव्वर ताज थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
3. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
4. का0 152 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 28.02.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा हत्या करने के प्रयास करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध अस्लहा व 01 मोटरसाइकिल बरामद

बरामदगी-

- 01 देशी पिस्टल .32 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर
- 01 खोखा कारतूस .32 बोर
- 01 मोटरसाईकिल

अवगत कराना है कि दिनांक 26.02.2025 को वादी अकरम मलिक पुत्र मौ0 असलम ग्राम थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 26.02.2025 को अभियुक्त ओमान पुत्र राव इमरान निवासी ग्राम थापुल थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भाई मुकर्रम को जान से मारने की नीयत से गोली मार देना जिससे मुकर्रम उपरोक्त का घायल हो जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 14/2025 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **उमान उर्फ ओमान पुत्र राव इमरान नि0 थापुल थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को सत्संग भवन के बराबर में जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उमान उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 देशी पिस्टल,01 मैगजीन, 02 जिन्दा कारतूस/ 01 खोखा कारतूस .32 बोर व 01 मोटरसाईकिल बरामद हुई। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ विवरणः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि पिछले साल मेरा खनन का कार्य करने वाले लोगो के साथ झगडा हो गया था जो मेरे गाँव के मुकर्रम के बुग्गावाला रोड पर मकान पर रहते थे।पिछले साल उन्होंने मेरे खिलाफ थाना बिहारीगढ़ पर मुकदमा लिखवा दिया था।जिसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा था। मुकर्रम व मुकर्रम के भाई अकरम ने इस दौरान कोई मदद नही की थी ।इसी बात से मैंन क्रोधित होकर दिनांक 26.02.25 को जब मुकर्रम मोहन पकोडी वाले के बराबर में कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तभी मैने मुकर्रम को पिस्टल से जान से मारने के इरादे से गोली मारी थी।फिर मैं वहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उमान उर्फ ओमान पुत्र राव इमरान निवासी थापुल थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

- 01 देशी पिस्टल .32 बोर
- 01 मैगजीन
- 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर
- 01 खोखा कारतूस .32 बोर
- 01 मोटरसाईकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान थाना बिहारीगढ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुखवीर सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. का0 130 मोहित कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. का0 2201 विपन कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
6. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
7. का0 1557 गौरव कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 28-02-2025

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या0-1 जनपद सहारनपुर द्वारा आर्म्स एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 02 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.05.2015 को वादी उप निरीक्षक श्री नासिर हुसैन थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त 1. अहसान पुत्र रियासत निवासी कपुरी थाना नकुड जनपद-सहारनपुर उपरोक्त अभियुक्त के पास से अवैध तमंचे का पकडा जाने की सूचना मु0अ0स0-90/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-738/15 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई,सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 28.02.2025 को अभियुक्त अहसान पुत्र रियासत को मु0अ0स0-90/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 02 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता ए)0डी0जी0सी0) श्री राजवीर सिंह चैहान
विवेचक उप निरिक्षक श्री स्व0 खूब सिंह
पैरोकार का 0378-बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर।